

क्र. सं.	चूककर्ता का नाम तथा पता	मासिकों/साझेदारों/निदेशकों का नाम व पता, यदि कोई हो	धारा 142 (नोटिस संख्या तथा जारी करने की तिथि)	चूककर्ता के विरुद्ध बकाया एरियर्स का विवरण (माघों में)				दोष का प्रकार	क्या यूनिट अभी कार्यरत है	क्या सम्पत्ति चिन्हित है	अभी तक प्रारम्भ की गई वसूली कार्रवाई	अभ्युक्तियाँ
				शुल्क	दण्ड	आर.एफ.	कुल					
1	मै. झालानी टूल्स (इं.) लि., प्लॉट सं. 29/30, एम.आई.डी.सी. चिकलथाना, औरंगाबाद	(1) मै. झालानी टूल्स (इं.) प्रा.लि., प्लॉट सं. सी.-1, अति.एम.आई.डी.सी. एरिया, जालना-431203 (2) श्री वाई.सी. झालानी, वरिष्ठ वाईस प्रेसिडेंट (तक.) एवं निदेशक, मेसर्स झालानी टूल्स, 51.52, गेडोर हाऊस, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली. (3) श्री प्रकाश चन्द्र झालानी, निदेशक, मेसर्स झालानी टूल्स, 51.52, गेडोर हाऊस, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली. (5) श्री अशोक झालानी, मेसर्स झालानी टूल्स, 51.52, गेडोर हाऊस, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली.	सं. 10/2003 दिनांक 05.12.2003	2.93	0.50	0.00	3.43	अस्वीकार्य मोडवेट क्रेडिट	यूनिट बन्द है	हाँ	1997 से कारखाना बंद है. संयंत्र और मशीनरी पर कब्जा करने का प्रमाण पत्र 31.01.2001 को कारखाने के प्रवेश द्वार पर चिपका दिया गया. धारा 142 के तहत नई दिल्ली पते वाले कंपनी के निदेशक श्री वाई.सी. झालानी को दिनांक 29.08.2003 को नोटिस जारी किया गया था. निर्धारित से कोई जवाब नहीं मिला. रोज अधीक्षक द्वारा जिला कलेक्टर एवं तहसीलदार कार्यालय का दौरा किया गया और एमआईडीसी इलाके में स्थित निर्धारित की खुली सम्पत्ति (भूमि) के निपटान के संदर्भ में विभाग का दावा पेश किया. कब्जा प्रमाणपत्र दिनांक 05.12.2003 को जारी किया गया. 12.03.2004 को सम्पत्ति कुर्क की गई. माननीय उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश सी.पी. 538/1998 dt.18.03.2003 के अनुसार मेसर्स झालानी टूल्स लि. के विरुद्ध टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड (टिस्को) की ओर से दायर याचिका का समापन हो गया है. माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार न्यायालय से जुड़ा शासकीय परिसमापक को कंपनी का अन्तिम समापक के रूप में नियुक्त किया गया तथा अन्तिम परिसमापक को प्रतिवादी की सम्पत्ति एवं खाते की किताबें इत्यादि को कब्जे में लेने के लिए निर्देश दिया.	
2	मे. एवरेस्ट बिल्डिंग्स, प्लॉट सं. एफ. 8, एम.डी.सी. चिकलथाना, औरंगाबाद	(1) ए.वी. चकपथीवार, 9/12, सिन्धी सोसायटी, सियोन-ट्राम्बे राड, चेम्बूर, मुम्बई, 400071, (2) श्री एन.ली. रामकृष्णा मूर्ति, मकान सं. 6-5-32, तालुका कार्यालय के सामने, इम्मेसपेट, राजमुन्दरी-533 101 (आन्ध्रप्रदेश)	दिनांक 08.03.2004 को धारा 142 के तहत निदेशकों को नोटिस जारी	2.31	0.36	0.00	2.67	अवैध रूप से वस्तुओं को हटाने और उत्पादन पर रोक लगाई गई	यूनिट बन्द है	हाँ	मेसर्स ऐजिस मेडिसिन्स प्रा. लि., एम.आई.डी.सी., वालुज, औरंगाबाद ने फैक्ट्री की जमीन तथा परिसर खरीदा है. इस प्रकार वे उत्तराधिकारी बन गए. अतः वारिस के विरुद्ध वसूली कार्रवाई शुरू की गई, जिसने बदले में विभाग के खिलाफ सिविल मुकदमा सं. 339/2008 को माननीय सिविल न्यायालय, औरंगाबाद ने दिनांक 05.10.2009 के आदेश द्वारा विभाग के पक्ष में आग्रह आदेश जारी कर निर्णय दे दिया गया तथा इस तरह से कथित उत्तराधिकारी विभाग के बकायों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है. मेसर्स ऐजिस मेडिसिन्स प्रा. लि. ने माननीय उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खण्डपीठ में रिट याचिका 5912/2009 दायर किया, जिसको माननीय उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खण्डपीठ द्वारा खारिज कर दिया. मेसर्स ऐजिस मेडिसिन्स प्रा. लि. के वारिसों ने पुनः माननीय उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खण्डपीठ रिट याचिका 8813/2013 दिनांक 15.10.2012 को दायर की, जिसका निर्णय अभी लम्बित है. रिट याचिका सं. 5912/2009 में माननीय उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खण्डपीठ के निर्णय की प्रमाणित प्रति इस कार्यालय को सितम्बर 2013 में प्राप्त हुई. इस कार्यालय ने सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 142 के तहत कार्रवाई शुरू करने का प्रस्ताव मण्डल कार्यालय को दिनांक 24.10.2013 प्रस्तुत किया था. हालांकि रिट याचिका संख्या 8813/2012 जो कि अभी पूर्व स्वीकार्यता की अवस्था में है, जिसके लिए माननीय उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खण्डपीठ ने अगली तिथि 28.03.2014 दी है.	
3	मे. एलोर स्टील, प्लॉट सं.-ई-26/27, एम.डी.सी., चिकलथाना, औरंगाबाद	(1) श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता, निदेशक, ई-26/27, एम.डी.सी., औद्योगिक एरिया, चिकलथाना, औरंगाबाद. (2) श्री वी.सी. जैन, निदेशक, मोनिशा, नवी मंजिल, सैंट एड्युज रोड, बान्द्रा मुम्बई (3) श्री वी.सी.जी. मायार, निदेशक, पी/3/4, सुन्दर नगर, मलाड पश्चिम, मुम्बई. (4) श्री एस.के. गुप्ता, निदेशक, 47/49, गांधीनगर, पटमपुरा, औरंगाबाद (6) श्रीमती एम. गुप्ता, निदेशक, 13/14, एन-1 सेक्टर, सिडको, औरंगाबाद	संख्या 11/2003 दिनांक 02.01.2004	21.48	0.62	0	22.1	अस्वीकार्य मोडवेट क्रेडिट	यूनिट बन्द है	हाँ	पार्टी बीआईएफआर में गयी. बीआईएफआर ने मामला निश्चित किया तथा पार्टी से चुकाने की प्रक्रिया के बारे में पृष्ठा. माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 10.04.2003 को आदेश दिया कि बी.एफ.आई.आर. की प्रक्रिया याचिका समापन हेतु समझौता जाए, जिसे स्वीकार मान लिया गया. उच्च न्यायालय ने मामला ऋण वसूली औरंगाबाद को स्थानांतरित कर दिया. विभाग ने ऋण वसूली कक्षा से वसूली के लिए संपर्क किया है.	
4	मे. अजन्ता रुफिंस प्रा. लि., प्लॉट संख्या ई-24, एम.डी.सी. चिकलथाना, औरंगाबाद	(1) श्री वी.के.अग्रवाल, 230, लॉअर सर्कुलर रोड, कलकत्ता. (2) श्री आर.पी.अग्रवाल, एन.सी.बी., सोरत बी. रोड, कलकत्ता (3) श्री ए.के.दत्त, स्ट्रीट, कलकत्ता, (4) श्री राम प्रताप रूग्टा, 541/1, रोबिन्द्र सारनी, कलकत्ता	दिनांक 08.03.2004 को धारा 142 के तहत निदेशकों को नोटिस जारी	0.03	0.03	0	0.06	वर्गीकरण मामला	यूनिट बन्द है	हाँ	संपत्ति अर्थात् फैक्ट्री परिसर जव्त करने के लिए आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि यह कोर्ट रिसीवर अधिकार में है.	
5	मे. केन्डी इंजीनियरिंग वर्क्स, प्लॉट सं. ई-8, एम.डी.सी., चिकलथाना, औरंगाबाद	(1) श्री रतनलाल मुरारका, चेयरमैन, मेसर्स केन्डी इंजीनियरिंग वर्क्स, निवास स्थान पता- 24-बी, एम.एल.दाहनुरकर मार्ग, क्युम्बाला हिल, मुम्बई, 400 026. (2) श्री सुनील आर. मारका, निदेशक, 24-बी, एम.एल.दाहनुरकर मार्ग, क्युम्बाला हिल, मुम्बई, 400 026.	संख्या 1/2003 दिनांक 25.08.2003	13.95	0.00	0.00	13.95	सी.एल. विवाद आर.जी.1 तैयार माल की गैर एकाउंटन्सी	यूनिट बन्द है	हाँ	इस मामले में श्री सुशील आर. मुरारका, की मुम्बई स्थित कम्पनी के निदेशक की सम्पत्ति चिन्हित करने के बाद डिटेन्शन आदेश संख्या 1/2003 दिनांक 25.08.2003 को मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क, मुम्बई-1 को भेजा गया. उपायुक्त (वसूली कक्षा), मुम्बई-1 ने रिपोर्ट किया कि निर्धारित के वकील ने सूचित किया है कि उक्त मामला सीगेट, दिल्ली में लम्बित है तथा वसूली पर रोक लगी है. हमारे रिकॉर्ड के अनुसार न्यायाधिकरण की किसी भी शाखा में कोई मामला लम्बित नहीं है. तदनुसार दिनांक 23.11.2003 को वकील को जारी किया गया है. अब दिनांक 14.02.2004 को मेसर्स केन्डी फिल्डेशन द्वारा खरीद ली गई है तथा वे सभी सरकारी बकायों का भुगतान करने के लिए सहमत हैं. तत्पश्चात यूनिट को मेसर्स हनुमान फिनोकेम लि., ई-9, एमआईडीसी, चिकलथाना, औरंगाबाद ने खरीद लिया. उक्त निर्धारित ने सरकारी टैयों का भुगतान किया है परन्तु ब्याज की वसूली नहीं हुई है, उसके लिए अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है.	

6	मे. कालापी फ्लेक्सीबल कन्टेनर्स प्रा. लि., प्लॉट सं. एच-5/3, एम.आई.डी.सी., चिकलथाना, औरंगाबाद	श्री फिरोज के. नानाजी, निदेशक, 6-7, राजावाडी शॉपिंग सेन्टर, गाँव चकला सहर रोड, सिगरेट फेक्ट्री के सामने, मुम्बई 400099	संख्या 6/2003 दिनांक 29.08.2003	0.54	0.08	0.62	शुल्क के भुगतान के बिना माल को हटाना एवं अयाह अस्वीकार्य मोडवेट क्रेडिट	यूनित बन्द है	हाँ	पार्टी का पता नहीं लग पाया है और संपत्ति कॉसमॉस बैंक, पुणे द्वारा कब्जे में ली गई है तथा हमने अपना दावा दर्ज करवा दिया है
7	मे. संदीप मेटल वर्क्स, प्लॉट सं. ए-7ए-1ए एम.आई.डी.सी. चिकलथाना, औरंगाबाद	श्री प्रकाश संचालाल बाफना, चेयरमेन, 201, प्लेजेन्ट पेलेस, 16 नारायण धाबोलकर रोड, मुम्बई	संख्या 04/2003 दिनांक 18.11.2003	2.30	0	0	गलती से राशि लौटाई गई	यूनित बन्द है	हाँ	सीगट के दिनांक 15.04.2002 के आदेश संख्या सी-11/1266/67/डब्ल्यू.जेड.बी./2002 के अनुसार पार्टी को गलती से लौटाए गए 8.13 लाख रुपयों की वसूली कर उपभोक्ता कल्याण निधि को दिए जाने हैं. श्री प्रकाश बाफना की संपत्ति मुम्बई में चिन्हित की गई है तथा धारा 142 के तहत दिनांक 29.08.2003 को डिटेन्शन सर्टिफिकेट जारी किया गया. उप आयुक्त (वसूली कक्षा), मुम्बई ने पुनः प्रश्न उपस्थित किया है कि किस प्राधिकार से सरकारी देय की वसूली प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के अध्यक्ष/निदेशक की व्यक्तिगत संपत्ति से वसूल की जा सकती है. आयुक्त ने सहायक आयुक्त को निर्देश दिए कि वे इस मामले में कानूनी सलाह ली जाए. इस संदर्भ में इस कार्यालय ने दिनांक 10.03.2005 को पत्र सं. टी.आर.-1V/बी.एम.पी/सनदीप/बकाया/04 द्वारा सहायक आयुक्त, औरंगाबाद-1 मण्डल को सूचित किया है कि इस निर्धारिति ने दिनांक 19.01.2005 को टी.आर.-6 चालान द्वारा रूपए 2,30,492/- का भुगतान किया है एवं टी.आर.-6 की प्रति जानकारी हेतु संलग्न की गई है.
8	मे. बी.एम.पावर केबल्स प्रा. लि., प्लॉट सं. ए-7, ए-1, एम.आई.डी.सी. चिकलथाना, औरंगाबाद	श्री प्रकाश संचालाल बाफना, चेयरमेन, 201, प्लेजेन्ट पेलेस, 16 नारायण धाबोलकर रोड, मुम्बई	संख्या 05/2003 दिनांक 18.11.2003	5.82	0	0	भ्रान्तिपूर्ण राशि लौटाई गई	यूनित बन्द है	हाँ	सीगट के दिनांक 15.04.2002 के आदेश संख्या सी-11/1266/67/डब्ल्यू.जेड.बी./2002 के अनुसार पार्टी को गलती से लौटाए गए 8.13 लाख रुपयों की वसूली कर उपभोक्ता कल्याण निधि को दिए जाने हैं. श्री प्रकाश बाफना की संपत्ति मुम्बई में चिन्हित की गई है तथा धारा 142 के तहत दिनांक 29.08.2003 को डिटेन्शन सर्टिफिकेट जारी किया गया. उप आयुक्त (वसूली कक्षा), मुम्बई ने पुनः प्रश्न उपस्थित किया है कि किस प्राधिकार से सरकारी देय की वसूली प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के अध्यक्ष/निदेशक की व्यक्तिगत संपत्ति से वसूल की जा सकती है. आयुक्त ने सहायक आयुक्त को निर्देश दिए कि वे इस मामले में कानूनी सलाह ली जाए. इस संदर्भ में इस कार्यालय ने दिनांक 10.03.2005 को पत्र सं. टी.आर.-1V/बी.एम.पी/सनदीप/बकाया/04 द्वारा सहायक आयुक्त, औरंगाबाद-1 मण्डल को सूचित किया है कि इस निर्धारिति ने दिनांक 19.01.2005 को टी.आर.-6 चालान 01/04-05 द्वारा रूपए 5,82,184/- का भुगतान किया है.
9	मे. यश केमिकल्स, एम-149, एम.आई.डी.सी. चिकलथाना औरंगाबाद	श्री राजेश कुमार माहेश्वरी, मालिक सूरज पेलेस, जी-2, टाऊन सेंटर, सिडको, औरंगाबाद	ओ.आई.ओ. सं. 28/सी.ई.एक्स.ए.सी./09 दिनांक 03.11.2009	0	0	0	छूट नोटिफिकेशन का गलत उपयोग	हाँ	हाँ	सेमरेट के दिनांक 14.03.2012 के आदेश संख्या ए/320/12/डीबी/सी-11 देछे, जिसके तहत पार्टी की अपील खारिज कर दी गई. सीमा शुल्क नियम, 1995 के नियम 5 (सरकारी देय की वसूली के लिए चुकती की संपत्ति को जप्त करना) के तहत 17000 किया. क्राफ्ट पेपर जिसका मूल्य 3,06,000/- रूपए है, जप्त कर लिया गया. निर्धारिति ने शुल्क का भुगतान कर दिया है तथा उन्होंने दिनांक 07.02.2013 को रु. 1,23,536/- का बकाया दण्ड का भी भुगतान कर दिया है, लेकिन जहाँ तक ब्याज का सवाल है उसका भुगतान नहीं किया. निर्धारिति ने माननीय उच्च न्यायालय औरंगाबाद में स्पेगन आवेदन दायर किया है. जिसकी सुनवाई अभी तक नहीं हुई है.
10	वार्नस इन्जीनियरिंग, ई-80, एम.आई.डी.सी., वालुज, औरंगाबाद (पूर्व नाम- रेनुका प्रेस प्रा. लि.), मे. एसियन स्टील कॉर्पोरेशन तथा द्वितीय भाग मेसर्स कृष्णा एसोसिएट्स, एम.एस.एफ.सी. से खुली निविदा द्वारा दिनांक 15.02.2011 को खरीदी गई. तत्पश्चात मेसर्स कृष्णा एसोसिएट्स के नाम एम.आई.डी.सी. के आदेश संख्या एम.आई.डी.सी./आर.ओ.(नल)/डब्ल्यू.एल. 1/एल.एम.एस.-395/378 दिनांक 08.06.2012 के अनुसार लीज अधिकारों को रजिस्ट्री की गई	श्री बालासाहेब बाबुराव पाटिल, 81-सी, टाऊन सेंटर, सिडको, एन-1, औरंगाबाद, मेसर्स एसियन स्टील कॉर्पोरेशन का प्रतिनिधि	फा.सं. औबाद/टी.आर.सी./रे मुका/डी.ओ. संख्या 12/2004 दिनांक 15.05.2012 के तहत मेसर्स एसियन स्टील को जारी कुर्की का नॉटिस	1.09	2.09	0	यथारूप में समाशोधित करने के बजाय कचरे और स्कैप के रूप में उन्हें समाशोधित कर सीआरसीए सीट्स द्वारा कम मूल्य पर शुल्क के भुगतान पर मंजूरी दे दी गई	यूनित बन्द है	हाँ	सहायक आयुक्त, मण्डल को सीमा शुल्क नियम, 1995 के नियम 6 (सरकारी बकाया राशि की वसूली के लिए दोषी की संपत्ति की कुर्की) के अनुसार जप्त करने के लिए निर्देशित किया गया है.
										कृष्णा एसोसिएट्स, ई 80, एम.आई.डी.सी. ने आयुक्त (अपील) के पास स्पेगन के लिए अपील प्रस्तुत की अगो मामला कॉल-बुक में रखा गया है. विभाग मामले में अपील में जाएगा. मेसर्स केशरदीप प्रेसिंग का मामला उच्च न्यायालय, मुंबई की औरंगाबाद खंडपीठ में दिनांक 20.09.2013 को अपील सं. 2009/2013 को मामला कॉल बुक के तहत रखा गया

11	मेसर्स रेणुका प्रेस, ई-80, एम.आई.डी.सी. बालुज, औरंगाबाद	श्री महाशाब्दे	आयुक्त (ओ.) द्वारा जारी ओ.आई.ओ. सं. आर.के.आर.(170) 22/07. दिनांक 24.08.2007 के साथ परित्त ओ.आई.ओ. सं. 29/डी.एम.डी./06, दिनांक 31.10.2006	0	0.15	0	0.15	निर्धारिती ने अतिरिक्त सेनवेट का उपयोग किया.	यूनित बन्द है	हों	सहायक आयुक्त, मण्डल को सीमा शुल्क नियम, 1995 के नियम 6 (सरकारी बकाया राशि की वसूली के लिए टोपी की संपत्ति की कुकी) के अनुसार ज्वन करने के लिए निर्देशित किया गया है.	
12	ओनेल मेडिकोर (वेस्टर्न पैकेजिंग), बी-10, एम.आई.डी.सी. पैठण	श्री एस.एल.दीप चांदनी (पार्टनर), 205, शारदा चैम्बर्स-11, 27ए, केशवजी नाईक रोड, मुम्बई-400009	फा.सं. V(17)48/एड्यू/03 दिनांक 24.02.2004	2.64	5.00	0	7.64	अवैध रूप से वस्तुओं को हटाना	यूनित 1989 से बन्द है	हों	संपत्ति एम.एस.एफ.सी. द्वारा अधिग्रहित की गई और बेची गई	एम.एस.एफ.सी. से विक्री अनुबन्ध की प्रति उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है
13	बाफना री-रोलिंग मिल, बी-39, एम.आई.डी.सी., पैठण	श्री सैय्यद खुशरूदीन पुत्र श्री सैय्यद बुरहानुद्दीन (निदेशक), मुख्य डाक घर के सामने, औरंगाबाद	फा.सं. V(एरियर्स/ए-III/18/03 दिनांक 24.02.2004	0	0	0	0	अवैध रूप से वस्तुओं को हटाना	यूनित 2004 से बन्द है	हों	संपत्ति बीएमसी को गिरवी	बी.एम.सी. को वर्तमान स्थिति की सूचना देने के लिए कहा है
14	मेसर्स एमूज एरोन्सियल ऑयल ड्रग, गुट नं. 7, अम्बेवाडी टाउन, गंगापुर, जिला औरंगाबाद	श्री पी.बी.अहमद, मकान संख्या 17-52/6, शेरोन विला, कुलाक्षेत्र, मंगलोर	दिनांक 17.05.2012 को सहायक आयुक्त द्वारा जारी नोटिस फा.सं. V(917)16/एड्यू/05-06	0	1.22	0.07	1.29	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क दिए बगैर वस्तुओं का उत्पादन एवं समाशोधन कर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अपवंचन	नहीं	नहीं	सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 142 (1) (ए) और 142 (बी) के तहत दिनांक 17.05.2012 को जारी डिटेन्शन नोटिस	
15	मेसर्स कन्नड एस.एस.के. मु. पोस्ट कन्नड, जिला औरंगाबाद	श्री जी.बी.जंगले, एम.डी.	दिनांक 19.08.2013 को सहायक आयुक्त द्वारा चुककर्ती को जारी नोटिस	30.09	0	0	30.09	अवधि जनवरी 2008 से मार्च 2008 तक के लिए ₹. 30.09 लाख का केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का चूका हुआ भुगतान	नहीं	हों	यूनित बंद हो गई है, एम.एस.सी.बैंक ने एस.ए.आर.एफ.ए.ई.एस.आई. एक्ट 2002 के तहत बकाया ऋण / देयों की वसूली के लिए यूनित की विक्री कर दी. जिसे नीलामी द्वारा बरामती एयो ने खरीद लिया. बी.ए.एल. यूनित को नई आर.सी. देने से मना कर दिया किन्तु पार्टी की अपील पर दिनांक 18.02.2013 के ओ.आई.ओ. सं. ए.वी.(40)44/2013 द्वारा आयुक्त स्वीकृति देने पर सहायक आयुक्त द्वारा नई आर.सी. की स्वीकृति दे दी गई. पूर्ववर्ती यूनित की उत्तराधिकारी यूनित होने के कारण बी.ए.एल. यूनित संख्या 02 को सरकारी देयों का भुगतान करने के लिए कहा गया, परन्तु निर्धारिति ने अपने पत्र दिनांक 06.12.2012 द्वारा जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया है.	
16	मेसर्स कन्नड एस.एस.के. एट पोस्ट कन्नड, जिला औरंगाबाद	श्री जी.बी.जंगले, एम.डी.	दिनांक 23.09.2013 को सहायक आयुक्त द्वारा चुककर्ती को नोटिस जारी	36.95	0	0	36.95	अवधि अप्रैल 2009 से जून 2009 तक के लिए ₹. 36.95 लाख का केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का चूका हुआ भुगतान	नहीं	हों	यूनित बंद हो गई है, एम.एस.सी.बैंक ने एस.ए.आर.एफ.ए.ई.एस.आई. एक्ट 2002 के तहत बकाया ऋण / देयों की वसूली के लिए यूनित की विक्री कर दी. जिसे नीलामी द्वारा बरामती एयो ने खरीद लिया. बी.ए.एल. यूनित को नई आर.सी. देने से मना कर दिया किन्तु पार्टी की अपील पर दिनांक 18.02.2013 के ओ.आई.ओ. सं. ए.वी.(40)44/2013 द्वारा आयुक्त स्वीकृति देने पर सहायक आयुक्त द्वारा नई आर.सी. की स्वीकृति दे दी गई. पूर्ववर्ती यूनित की उत्तराधिकारी यूनित होने के कारण बी.ए.एल. यूनित संख्या 02 को सरकारी देयों का भुगतान करने के लिए कहा गया, परन्तु निर्धारिति ने अपने पत्र दिनांक 06.12.2012 द्वारा जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया है.	
17	मेसर्स विश्व पेपर मिल्स, बिडकीन तालुका, पैठण, जिला- औरंगाबाद	श्री एन.वी.जाधव, निदेशक, 10, श्रीनिकेतन कॉलोनी, जालना रोड, औरंगाबाद	परिशिष्ट-II दिनांक 22.10.2013 तथा परिशिष्ट-IV दिनांक 28.11.2013	11.02	0	0	11.02	अवधि जुलाई 2013 तथा अगस्त 2013 के लिए चूका हुआ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क भुगतान	नहीं	हों	दिनांक 03.12.2013 के पंचनामा द्वारा अनुमानित मूल्य राशि ₹. 60 लाख के पेपर मशीन तथा ग्लेज सिलेन्डर ज्वन किए गए	निर्धारिती ने माह जुलाई 2013 के लिए ₹. 1102243 में से ₹. 4 लाख का भुगतान अब तक कर दिया है, अतः जुलाई 2013 के लिए शेष राशि ₹. 702243 है, सम्पत्ति का मूल्यांकन प्रक्रियाधीन है
18	मेसर्स विश्व पेपर मिल्स, बिडकीन तालुका, पैठण, जिला- औरंगाबाद	श्री एन.वी.जाधव, निदेशक, 10, श्रीनिकेतन कॉलोनी, जालना रोड, औरंगाबाद	परिशिष्ट-II दिनांक 27.03.2014	13.58	0	0	13.58	सितम्बर 2013 से अक्टूबर 2013 तक के लिए शुल्क भुगतान हेतु चुककर्ती	नहीं	हों	दिनांक 03.12.2013 के पंचनामा द्वारा अनुमानित मूल्य राशि ₹. 60 लाख के पेपर मशीन तथा ग्लेज सिलेन्डर ज्वन किए गए	वसूली के लिए अगली कार्रवाई प्रक्रियाधीन है
19	मेसर्स नाहर टोबैको, घोडेगांव, तालुका-नेवासा, जिला-अहमदनगर	प्रोपराईटर-श्री राजेन्द्र शान्तिलाल नाहर	धारा 142 के तहत नोटिस संख्या ..... दिनांक 03.07.2012	0	8.13	3.00	11.13	उत्पादन का उन्मूलन तथा अन्तिम उत्पाद को गुप्त रूप से हटाना	यूनित बन्द है	हों	इस मामले में शुल्क का हिस्सा पार्टी से वसूल किया गया है. हालांकि टण्ड तथा ब्याज सहित क्षतिपूर्ति जुर्माना राशि अभी वसूल की जानी शेष है. उक्त प्रक्रिया जारी है. प्रोपराईटर की अचल सम्पत्ति (गुट नं. 124/5, 1.68,00 हैक्टर पर क्षेत्र) को ज्वन कर लिया गया है ई-निविदा द्वारा वसूली कार्रवाई प्रक्रियाधीन है.	
20	मेसर्स विजसन इण्डस्ट्रीज, अहमदनगर-मनमाड हाईवे, संख्या 370/2के, कोकाम्यान, तालुका-कोपरगांव, जिला- अहमदनगर	पार्टनर्स के नाम व पता- 1. श्री सुनील मोहनराव चव्हाण, धरणगांव रोड, इन्दिरा गांधी पथ, कोपरगांव 423601, 2. अनिल मोहनराव चव्हाण, ए/पी. तकली कोपरगांव	धारा 142 के तहत नोटिस संख्या 01/2008 दिनांक 13.10.2008	0	0	0	0	अमान्य सेनवेट क्रेडिट (मोडवेट)	यूनित बन्द है	हों	इस मामले में शुल्क का हिस्सा पार्टी से वसूल किया गया है. हालांकि रूप 8.89 लाख की ब्याज राशि अभी वसूल की जानी शेष है. रज अधीक्षक को सरकारी मूल्यांकन से पुनर्मूल्यांकन प्राप्त करने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही पार्टनर्स की अतिरिक्त सम्पत्ति का पता लगाने के लिए निर्देश दिया गया है. उक्त प्रक्रिया जारी है.	



29	उप कार्यकारी अभियंता (सिविल), एम.एस.ई.डी.सी.एल., पी.एस.सी. पोल फेक्ट्री, नायगांव, नान्देड	एम.एस.ई.डी.सी.एल., पी.एस.सी. पोल फेक्ट्री, नायगांव, नान्देड	फा.सं. V/चै.68(15)एडजू/ए.सी./96/2009 दिनांक 24.12.2013 के तहत पार्टी को परिशिष्ट-II जारी किया गया	2.24	0	0	2.24	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टिए बगैर पी.एस.सी. खम्भों की निकासी अर्थात छूट नोटिफिकेशन संख्या 74/93 का गलत उपयोग	कार्यरत है किन्तु उत्पादन कार्य 3 वर्ष से बन्द है	हाँ	सरकारी देयों की वसूली के लिए सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 142 के तहत वसूली कार्रवाई शुरू कर दी गई है
30	मेसर्स संकेत फूड प्रोडक्ट्स प्रा. लि., यूनिट-II, दावलवाड़ी, जालना	श्री विनय नवीनचंद्र शाह, निदेशक, मेसर्स संकेत फूड प्रोडक्ट्स प्रा. लि., शारदा, 1-28-41, सिविल क्लब के पास, जालना-431 203	मूल्य रु. 7.74 करोड़ का तैयार माल और रुपये 2.65 करोड़ मूल्य की सम्पत्ति (प्लॉट और यूनित-I की मशीनरी) और मूल्य रूप 1.37 करोड़ का पूंजीगत माल वसूली हेतु विभाग द्वारा जद्वत किया गया है. आयुक्त महोदय ने उक्त बकाया राशि का भुगतान तीन समान किस्तों में करने की करने की अनुमति निर्धारित की प्रदान की है.	1088.00	0	0	1088	अवधि अप्रैल 2012 से जुलाई 2012 तक का केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का चूका हुआ भुगतान	कार्यरत नहीं है	हाँ	सरकारी देयों की वसूली के लिए सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 142 के तहत वसूली कार्रवाई शुरू कर दी गई है. माल / संपत्ति की नीलामी की प्रक्रिया जारी है.  आयुक्त महोदय, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, औरंगाबाद द्वारा शुल्क में रुपये 5,73,52,283/- की छूट दी गई
31	मेसर्स संकेत फूड प्रोडक्ट्स प्रा. लि., यूनिट-II, दावलवाड़ी, जालना	श्री विनय नवीनचंद्र शाह, निदेशक, मेसर्स संकेत फूड प्रोडक्ट्स प्रा. लि., शारदा, 1-28-41, सिविल क्लब के पास, जालना-431 203	मूल्य रूप 58.57 लाख की अचल संपत्ति दिनांक 25/09/2012 को कुर्क की गई	72.00	0	0	72	अवधि अप्रैल 2012 से सितम्बर 2012 तक का केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का चूका हुआ भुगतान	कार्यरत नहीं है	हाँ	सरकारी देयों की वसूली के लिए सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 142 के तहत वसूली कार्रवाई शुरू कर दी गई है. माल / संपत्ति की नीलामी की प्रक्रिया जारी है.
32	मै. सालासर स्टील इण्डस्ट्रीज (वर्तमान मै. मेसर्स रजित रोलिंग मिल), प्लॉट सं. डी.-16, अतिरिक्त एम.आई.डी.सी., जालना	श्री सचिन नरेन्द्र अयवाल, भारतनगर, शिवाजी स्टेट्यू के पास, जालना	मूल्य रूप 17.43 लाख का तैयार माल (एम.एस.बासी) कुर्क किया गया	15.04	0	0	15.04	उक्त निर्धारित के विरुद्ध रु. 15.04 लाख और ब्याज राशि बकाया है	कार्यरत है	हाँ	सरकारी देयों की वसूली के लिए सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 142 के तहत वसूली कार्रवाई शुरू कर दी गई है. माल / संपत्ति की नीलामी की प्रक्रिया जारी है.
33	महावीर ब्युटाईल, नान्देड	ए-6/3/1, एम.आई.डी.सी. एरिया, नांदेड	यूनित बंद है तथा एम.एस.एफ.सी. नंदीदास को परिशिष्ट-IV जारी किया गया है. एम.एस.एफ.सी. ने कथित सम्पत्ति का अधिग्रहण कर लिया है. रज कार्यालय ने एम.एस.एफ.सी. को पत्र दिनांक 22.12.2006 के द्वारा सूचित कर दिया है कि पार्टी के विरुद्ध केन्द्रीय उत्पाद शुल्क देय बकाया है तथा खरीदकर्ता को सम्पत्ति खरीदने से इसके बारे में बताया जाना चाहिए. एम.एस.एफ.सी. ने अपने पत्र दिनांक 28.07.2012 द्वारा सूचित किया कि सम्भावित खरीददार को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क देयों के बारे में अवगत करवा दिया जाएगा. इस कार्यालय द्वारा दिनांक 27.01.2012 एवं 05.09.2012 द्वारा एम.एस.एफ.सी. को वर्तमान स्थिति से अवगत कराने का अनुरोध किया है.	29.59	32.58	0	62.17	गुप्त रूप से माल को हटाना	कार्यरत नहीं है	नहीं	
34	महावीर ब्युटाईल, नान्देड			5.96	0	0	5.96	रही पर शुल्क	कार्यरत नहीं है	नहीं	
35	महावीर ब्युटाईल, नान्देड			3.85	1	0	4.85	माल की कमी/अधिकता	कार्यरत नहीं है	नहीं	
36	महावीर ब्युटाईल, नान्देड			2.11	2.68	0	4.79	गुप्त रूप से माल को हटाना	कार्यरत नहीं है	नहीं	
37	महावीर ब्युटाईल, नान्देड			2.55	1	0	3.55	मोडवेट का गलत उपयोग	कार्यरत नहीं है	नहीं	
38	महावीर ब्युटाईल, नान्देड			0.15	0.07	0	0.22	माल का कम मूल्यांकन	कार्यरत नहीं है	नहीं	
39	महावीर ब्युटाईल, नान्देड			0.00	0.08	0	0.08	गुप्त रूप से माल को हटाना	कार्यरत नहीं है	नहीं	
40	महावीर ब्युटाईल, नान्देड			0.26	0.26		0.52	माल की कमी	कार्यरत नहीं है	नहीं	

41	महावीर व्युटाइल, नान्देड		नासिक का उपयुक्त करवा दिया जाएगा. इस कार्यालय द्वारा दिनांक 27.01.2012 एवं 05.09.2012 द्वारा एम.एस.एफ.सी. को वर्तमान स्थिति से अवगत कराने का अनुरोध किया है.	0.47	0	0	0.47	माल का कम मूल्यांकन	कार्यरत नहीं हैं	नहीं	
42	महावीर व्युटाइल, नान्देड			0.00	0.12	0	0.12	माल का कम मूल्यांकन	कार्यरत नहीं हैं	नहीं	
43	मीना इम्पैक्स	मीना इम्पैक्स, 100% ई.ओ.यू. डी-56, एम.आई.डी.सी., नान्देड	नासिक आयुक्तालय को दिनांक 12.12.2012 को परिशिष्ट-1 जारी किया गया	8.79	10.04		18.83	सी.टी. 3 के तहत शुल्क मुक्त कच्चा माल प्राप्त किया और ड्यूटी के भुगतान के बिना डीटीए को भेज दिया	कार्यरत नहीं हैं	नहीं	पार्टी अन्य आयुक्तालय में रहने वाली है. मण्डल कार्यालय द्वारा दिनांक 12.12.2006 को नासिक आयुक्तालय को परिशिष्ट-1 जारी किया गया. दिनांक 18.11.2011 तथा 05.12.2012 को अखिल भारतीय डिटेन्शन नोटिस मण्डल कार्यालय में जमा करवा दिया गया है.
44	मेसर्स इमरान एण्ड कम्पनी	मेसर्स इमरान एण्ड कम्पनी, 100% ई.ओ.यू. डी- 46, एम.आई.डी.सी., नान्देड	दिनांक 12.12.2006 को थाने-11 आयुक्तालय को परिशिष्ट-1 जारी किया गया	0.00	3.68	0	3.68	सी.टी. 3 के तहत शुल्क मुक्त कच्चा माल प्राप्त किया और ड्यूटी के भुगतान के बिना डीटीए को भेज दिया	कार्यरत नहीं हैं	नहीं	पार्टी अन्य आयुक्तालय में रहने वाली है. मण्डल कार्यालय द्वारा दिनांक 12.12.2006 को थाने-11 आयुक्तालय को शेष राशि की वसूली करने के लिए परिशिष्ट-1 जारी किया गया. दिनांक 12.12.2006 को थाने-11 आयुक्तालय को शेष राशि की वसूली करने के लिए नया परिशिष्ट-1 जारी किया गया. दिनांक 18.11.2011 तथा 05.12.2012 को अखिल भारतीय डिटेन्शन नोटिस मण्डल कार्यालय में जमा करवा दिया गया है.
45	मेसर्स इमरान एण्ड कम्पनी	मेसर्स इमरान एण्ड कम्पनी, 100% ई.ओ.यू. डी- 46, एम.आई.डी.सी., नान्देड	दिनांक 26.09.2008 को थाने-11 आयुक्तालय को परिशिष्ट-1 जारी किया गया	0.00	7.88	0	7.88	क्रेडिट का गलत उपयोग	कार्यरत नहीं हैं	नहीं	पार्टी अन्य आयुक्तालय में रहने वाली है. मण्डल कार्यालय द्वारा दिनांक 26.09.2008 को थाने-11 आयुक्तालय को शेष राशि की वसूली करने के लिए परिशिष्ट-1 जारी किया गया. दिनांक 18.11.2011 तथा 05.12.2012 को अखिल भारतीय डिटेन्शन नोटिस मण्डल कार्यालय में जमा करवा दिया गया है.
46	मेसर्स प्रियदर्शिनी एस.एस.के. लि., टोन्डर, उदगीर		कुर्की की गई तथा हाई कोर्ट के आदेशानुसार चीनी छोड़ी गई	42.04	0	0	42.04	जुलाई 2007 से नवम्बर 2007 तथा जनवरी 2008 से फरवरी 2008 तक की अवधि की शुल्क अदायगी में चूक	हाँ, मेसर्स मांजरा एस.एस.के., यूनिट-द्वितीय, लातूर को लीज पर	हाँ	दिनांक 26.08.2008 को 5000/- किंवदंत चीनी जब्त की गई. कुल डिफॉल्ट राशि 84,54,169/- में से रु. 42,50,000/- दिनांक 03.05.2010 को अवधि जुलाई 2007 से नवम्बर 2007 तथा जनवरी 2008 के लिए निर्धारित ने जमा करवा दिया है. उक्त भुगतान के परिणामस्वरूप 2500/- किंवदंत चीनी दिनांक 03.05.2010 को छोड़ दी गई. निर्धारित ने शेष राशि का भुगतान नहीं किया है. माननीय उच्च न्यायालय, मुम्बई की औरंगाबाद खण्डपीठ ने जर्नल खारिज कर जब्त की गई चीनी को छोड़ देने का आदेश दिया. माननीय उच्च न्यायालय, मुम्बई की औरंगाबाद खण्डपीठ द्वारा दिनांक 29.11.2010 को जारी रिट याचिका सं. 7856/2010 के अन्तिम आदेश के अनुसार माल की कुर्की के सम्बन्ध में करवाई उचित नहीं है, तथा खारिज एवं एक तरफ रखने योग्य है. इसके अनुसार मण्डल कार्यालय के पत्र दिनांक 21.10.2011 को फा.स.
47	मेसर्स प्रियदर्शिनी एस.एस.के. लि., टोन्डर, उदगीर	मेसर्स प्रियदर्शिनी एस.एस.के. लि., टोन्डर, उदगीर	कुर्की की गई तथा हाई कोर्ट के आदेशानुसार चीनी छोड़ी गई	8.1	0	0	8.1	अप्रैल 2010 में शुल्क अदायगी में चूक	हाँ, मेसर्स मांजरा एस.एस.के., यूनिट-द्वितीय, लातूर को लीज पर	हाँ	वी.जी.एन.(30)142/लातूर/09-10/1226 के तहत जब्त की गई 2500/- किंवदंत चीनी की शेष मात्रा को दिनांक 18.11.2011 को छोड़ दिया गया. दिनांक 18.11.2011 के पत्र द्वारा निर्धारित को सरकारी बकाया राशि का भुगतान करने के लिए निर्देशित किया गया है.
48	मेसर्स प्रियदर्शिनी एस.एस.के. लि., टोन्डर, उदगीर		कुर्की की गई तथा हाई कोर्ट के आदेशानुसार चीनी छोड़ी गई	3.08	0	0	3.08	अगस्त तथा सितम्बर 2010 में शुल्क अदायगी में चूक	हाँ, मेसर्स मांजरा एस.एस.के., यूनिट-द्वितीय, लातूर को लीज पर	हाँ	
49	मेसर्स जय जवान जय किसान एस.एस.के. लि., नालेगांव, लातूर		हाई कोर्ट के आदेशानुसार वसूली रोकें गई	26.19	0	0		सितम्बर 2003 तथा जनवरी 2004 में शुल्क की अदायगी में चूक	बन्द. मेसर्स एम.एस.सी. बैंक, नान्देड द्वारा कब्जे में लिया गया	नहीं	दिनांक 07.01.2004 को 11,500/- किंवदंत चीनी जब्त की गई. निर्धारित ने माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 2081 वर्ष 2004 दायर की तथा माननीय उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खण्डपीठ ने दिनांक 29.03.2014 को आदेश द्वारा सरकारी बकाया राशि को किस्तों में भुगतान करने को कहा. निर्धारित सभी बकायों का भुगतान करने में असफल रहा. अब तक राशि रुपये 26.19 बकाया है. माननीय उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खण्डपीठ के आदेशानुसार जब तक रिट याचिका का अन्तिम निपटारा न हो जाए, तब तक न्यायालय की अनुमति के बिना कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाए. इसलिए विभाग ने जब्त किए गए माल की नीलामी तथा बेचने की अनुमति लेने के लिए माननीय उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खण्डपीठ में दिनांक 24.07.2008 को सिविल प्रार्थना-पत्र दायर किया. सिविल प्रार्थना-पत्र का निर्णय अभी लम्बित है. जब्त की गई चीनी को बेचने की अनुमति के लिए एम.एस.सी. बैंक ने भी माननीय उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खण्डपीठ में हलफनामा दायर किया है. हालांकि सरकारी वकील श्री आलोक शर्मा ने अपने पत्र दिनांक 17.04.2012 में एमएससी बैंक द्वारा दायर हलफनामा के खिलाफ जवाबी हलफनामा दायर करने का अनुरोध किया गया है. इसके अलावा माननीय उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खण्डपीठ ने दिनांक 30.04.2012 को जारी आदेश वर्ष 2012 की रिट याचिका संख्या 2582 में जब्त चीनी के बेचने के सम्बन्ध में अन्य कोई आक्रामक कदम उठाने पर रोक लगा दी है. माननीय उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खण्डपीठ ने दिनांक 30.08.2012 के आदेश द्वारा एम.एस.सी. बैंक की अपील को स्वीकृत कर लिया तथा विभाग द्वारा चीनी को जब्त करने की करवाई को अलग कर दिया गया. कुल देय राशि रु. 1,32,15,289/- में से निर्धारित ने रु. 1,05,96,730/- का भुगतान किया है. हालांकि विलंबित भुगतान पर देय व्याज रु. 30,20,487/- अभी भी बकाया है.
50	मेसर्स जय जवान जय किसान एस.एस.के. लि., नालेगांव, लातूर	मेसर्स जय जवान जय किसान एस.एस.के. लि., नालेगांव, लातूर	हाई कोर्ट के आदेशानुसार वसूली रोकें गई	30.2	0	0		मार्च 2003 से दिसम्बर 2003 तथा फरवरी 2004 के शुल्क भुगतान में देरी पर व्याज	बन्द. मेसर्स एम.एस.सी. बैंक, नान्देड द्वारा कब्जे में लिया गया	नहीं	
51	मेसर्स नरसिंह एस.एस.के. लि., वाशी, जिला-उस्मानाबाद		कुर्की नोटिस तामील करवाया गया	110.35	0	0	110.35	मई 2006 से मई 2008 तक के शुल्क की अदायगी में चूक	यूनिट बन्द हैं	हाँ	

52	मेसर्स नरसिंहा एस.एस.के. लि., वाशी, जिला- उस्मानाबाद	मेसर्स नरसिंहा एस.एस.के. लि., वाशी, जिला- उस्मानाबाद	कुर्की नोटिस तामील करवाया गया	13.2	0	0	13.2	जनवरी 2012 में शुल्क की अदायगी में चूक	यूनिट बन्द है	हाँ	सरकारी देय राशि की वसूली के लिए टर्बाइन और जेनरेटर, मोलासेज और चीनी को ज्वट कर सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 142 के तहत कार्रवाई की गई है. दैनिक समाचार पत्र लोकमत के दिनांक 29.09.2012 के संस्करण से ज्ञात हुआ कि चीनी उत्पादक फैक्ट्री ने किसानों को गन्ने का भुगतान नहीं किया है. जिला राजस्व अधिकारियों ने चीनी कारखाने की सभी चल-अचल सम्पत्ति जैसे प्लांट एवं मशीनरी, जमीन तथा परिसर इत्यादि को कब्जे में ले लिया है. आज की तारीख में चीनी कारखाना बंद हो गया है. मामले में नीलामी कार्रवाई प्रक्रियाधीन है.	नीलामी प्रक्रिया जारी है. चीनी बेच दी गई है. सरकारी देयों की वसूली के लिए टरबाइन तथा मोलासेज को नीलामी द्वारा बेचने की प्रक्रिया जारी है.
53	मेसर्स नरसिंहा एस.एस.के. लि., वाशी, जिला- उस्मानाबाद		कुर्की नोटिस तामील करवाया गया	21.74	0	0	21.74	फरवरी 2012 में शुल्क की अदायगी में चूक	यूनिट बन्द है	हाँ		
54	मेसर्स नरसिंहा एस.एस.के. लि., वाशी, जिला- उस्मानाबाद		कुर्की नोटिस तामील करवाया गया	5.57	0	0	5.57	मार्च 2012 के शुल्क की अदायगी में चूक	यूनिट बन्द है	हाँ		
55	मेसर्स इष्टि शुगर एण्ड डिस्टीलरीज (मेसर्स श्री तुलजाभवानी एस.एस.के.लि. नालदुर्ग, उस्मानाबाद की पहेदार)			1.76	0	0	1.76	जून 2012 के शुल्क के भुगतान में देरी पर ब्याज				
56	मेसर्स इष्टि शुगर एण्ड डिस्टीलरीज (मेसर्स श्री तुलजाभवानी एस.एस.के.लि. नालदुर्ग, उस्मानाबाद की पहेदार)			1.86	0	0	1.86	जुलाई 2012 के शुल्क के भुगतान में देरी पर ब्याज				
57	मेसर्स इष्टि शुगर एण्ड डिस्टीलरीज (मेसर्स श्री तुलजाभवानी एस.एस.के.लि. नालदुर्ग, उस्मानाबाद की पहेदार)			0.62	0	0	0.62	अगस्त 2012 के शुल्क के भुगतान में देरी पर ब्याज				
58	मेसर्स इष्टि शुगर एण्ड डिस्टीलरीज (मेसर्स श्री तुलजाभवानी एस.एस.के.लि. नालदुर्ग, उस्मानाबाद की पहेदार)	मेसर्स इष्टि शुगर एण्ड डिस्टीलरीज (मेसर्स श्री तुलजाभवानी एस.एस.के.लि. नालदुर्ग, उस्मानाबाद की पहेदार)		5.52	0	0	5.52	सितम्बर 2012 में चीनी उपकर का भुगतान नहीं किया गया	यूनिट बन्द है	नहीं	सितम्बर 2012 के सरकारी बकाया राशि की वसूली के लिए धारा-11 के तहत कार्रवाई शुरू करने के लिए मण्डल कार्यालय को प्रस्ताव भेज दिया गया है. परिशिष्ट-II, IIए तथा दिनांक 31.12.2012 को अक्टूबर 2012 की सरकारी बकाया राशि की वसूली के लिए धारा 11 के तहत कार्रवाई शुरू करने के लिए परिशिष्ट-IV को निर्धारित की तामील करवा लिया गया है. नवम्बर 2013 के सरकारी बकाया राशि की वसूली के लिए धारा-11 के तहत कार्रवाई शुरू करने के लिए दिनांक 25.06.2013 को मण्डल कार्यालय को प्रस्ताव भेज दिया गया है.	उपायुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, नांदेड मण्डल द्वारा दिनांक 17.07.2013 को जारी कुर्की वारंट के अनुसार दिनांक 24.01.2014 के पंचनामा के तहत रु. 1.35 करोड़ मूल्य का माल ज्वट किया गया.
59	मेसर्स इष्टि शुगर एण्ड डिस्टीलरीज (मेसर्स श्री तुलजाभवानी एस.एस.के.लि. नालदुर्ग, उस्मानाबाद की पहेदार)			0.32	0	0	0.32	सितम्बर 2012 में चीनी उपकर का भुगतान करने में देरी पर ब्याज				
60	मेसर्स इष्टि शुगर एण्ड डिस्टीलरीज (मेसर्स श्री तुलजाभवानी एस.एस.के.लि. नालदुर्ग, उस्मानाबाद की पहेदार)			3.44	0	0	3.44	अक्टूबर 2012 के लिए चीनी उपकर का भुगतान नहीं किया गया				
61	मेसर्स इष्टि शुगर एण्ड डिस्टीलरीज (मेसर्स श्री तुलजाभवानी एस.एस.के.लि. नालदुर्ग, उस्मानाबाद की पहेदार)			0.18	0	0	0.18	चीनी एवं मोलासेज पर शिक्षा उपकर, उच्च शिक्षा उपकर का भुगतान नहीं किया गया				
62	मेसर्स इष्टि शुगर एण्ड डिस्टीलरीज (मेसर्स श्री तुलजाभवानी एस.एस.के.लि. नालदुर्ग, उस्मानाबाद की पहेदार)			2.57	0	0	2.57	नवम्बर 2012 की शुल्क अदायगी में चूक				
63	मेसर्स डी.डी.एन. एस.एफ.ए. लि., वाथवाड़ा, उस्मानाबाद			19.98	0	0	19.98					
64	मेसर्स डी.डी.एन. एस.एफ.ए. लि., वाथवाड़ा, उस्मानाबाद			32.33	0	0	32.23					
65	मेसर्स डी.डी.एन. एस.एफ.ए. लि., वाथवाड़ा, उस्मानाबाद			4.49	0	0	4.49					
66	मेसर्स डी.डी.एन. एस.एफ.ए. लि., वाथवाड़ा, उस्मानाबाद	मेसर्स डी.डी.एन. एस.एफ.ए. लि., वाथवाड़ा, उस्मानाबाद		15.04	0	0	15.04	अक्टूबर, नवम्बर दिसम्बर-2012 तथा जनवरी, फरवरी, मार्च-2013 के शुल्क के भुगतान में चूक	यूनिट बन्द है	नहीं	अक्टूबर 2012 से दिसम्बर 2012 के सरकारी बकाया राशि की वसूली के लिए परिशिष्ट-II, IIए तथा IV दिनांक 07.03.2013 को निर्धारित की तामील करवा दिए गए हैं. नोटिस ऑफ डिफॉल्ट तामील करवा लिया गया है. अक्टूबर 2012 से दिसम्बर 2012 के सरकारी बकाया राशि की वसूली के लिए धारा-11 के तहत कार्रवाई शुरू करने के लिए दिनांक 12.06.2013 को मण्डल कार्यालय को प्रस्ताव भेज दिया गया है. कुर्की आदेश जुलाई 2013 (01.07.2013) को जारी किया गया है. तथा दिनांक 17.07.2013 कुर्की वारंट जारी किया गया. दिनांक 24.01.2014 के पंचनामा के तहत कुर्की नोटिस के अनुसार रु. 1.35 करोड़ मूल्य का माल ज्वट किया गया.	

67	मेसर्स डी.डी.एन. एस.एफ.ए. लि., वाथवाडा, उस्मानाबाद
68	मेसर्स डी.डी.एन. एस.एफ.ए. लि., वाथवाडा, उस्मानाबाद

24.6	0	0	24.6
39.46	0	0	39.46